स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ 1008 (10)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2015–16/71 दिनांक :11.01.2016

1 फोर्टिस् अस्पताल जे.एल.एन. मार्ग जयपुर
2 नारायणा हृदयालय प्रतापनगर जयपुर
3 संतोकबा दुर्लभजी हास्पीटल जयपुर
4 EHCC अस्पताल जवाहर सर्किल जयपुर
5 सोनी मनिपाल अस्पताल सीकर रोड जयपुर
6 मेट्रोमॉस हास्पीटल मानसरोवर जयपुर

नोटिस

राज्य सरकार द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य में 13 दिसम्बर, 2015 से प्रारंभ की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 1 करोड परिवार लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं जिसके अन्तर्गत राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले परिवार एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले परिवार सम्मिलित हैं।

राज्य सरकार द्वारा जनहित में लागू की गई इस लोकप्रिय योजना के अन्तर्गत आपके अस्पताल द्वारा इस योजना से सम्बद्ध होने के लिये अभी तक आवेदन नहीं किया हैं। इस लोकप्रिय योजना के लिये आपका यह असहयोगात्मक व्यवहार अत्यन्त खेदजनक है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आप जरूरतमंद व गरीब जनता को लाभ देने की मंशा नहीं रखते हैं।

इस सम्बन्ध में आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि आपके अस्पताल द्वारा इस योजना से सम्बद्ध होकर ईलाज प्रारम्भ नहीं किया जायेगा तो क्यों ना आपके अस्पताल को राज्य सरकार की अन्य निम्नांकित योजनाओं से असंबद्ध कर दिया जाये :–

1 मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवायें।
2 राज्य सरकार के कर्मचारियों के ईलाज के लिये अधिकृत अस्पतालों की सूची से बाहर करना।
3 जिन अस्पतालों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर निर्धारित शर्तो के अनुसार भूमि दी गई है, उन शर्तो का उल्लंघन मानते हुये कार्यवाही किया जाना।
4 एमएलसी केसेज के लिये अधिकृत, अस्पतालों की इस सम्बन्ध में मान्यता समाप्त करना।
5 राज्य सरकार द्वारा प्रचलित अन्य किसी योजना में दी जा रही सहायता को वापस लेना।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप आपके अस्पताल को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से सम्बद्ध होने के विषय में अपनी स्थिति पुनःमूल्यांकित करते हुये सात दिवस के अन्दर अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को सूचित करें अन्यथा आपके विरूद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

डॉ. नीरज के पवन (IAS)
सी.ई.ओ.
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

क्रमांकः एफ 1008 (10)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2015–16/71 दिनांक :11.01.2016

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
7. रक्षित पत्रावली।

डॉ. नीरज के पवन (IAS)
सी.ई.ओ.
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी